न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 348/2022

खेमाराम पुत्र सताराम जाति जाट
निवासी लुखों का तला, सरली
तहसील व जिला बाडमेर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. गोमाराम पुत्र हिमताराम
2. खेमाराम पुत्र हिमताराम
   दोनों जाति जाट, निवासी लुखों का तला, सरली
   तहसील व जिला बाडमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर
4. देवाराम पुत्र उदाराम
5. उमाराम पुत्र गोकलराम
6. जुगताराम पुत्र गोकलराम
7. पदमाराम पुत्र गोकलराम
8. पुनमाराम पुत्र गोकलराम
9. अर्जुनराम पुत्र अचलाराम
10. धर्मी पत्नी अचलाराम
11. च्तनराम पुत्र जोराराम
12. चैनाराम पुत्र जोराराम
13. पारूदेवी पत्नी जोराराम
14. दौलाराम पुत्र गंगाराम
15. डूंगरराम पुप गंगाराम
16. धापूदेवी पत्नी गंगाराम
17. ज्गमालराम पुत्र जोधाराम
18. मेहराराम पुत्र केसराराम
19. जसाराम पुत्र केसराराम
20. हीरोदवेवी पत्नी केसराराम
21. खेराजराम पुत्र सोनाराम
22. खेमाराम पुत्र सोनाराम
23. कानाराम पुत्र सोनाराम
24. दीपाराम पुत्र मुकनाराम
25. नगाराम पुत्र सताराम
26. बालीदेवी पत्नी हुकमाराम
27. डालूराम पुत्र भूराराम
28. निम्बाराम पुत्र भूराराम
29. नैनाराम पुत्र भूराराम

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

सभी जाति जाट, निवासीगण लुखों का तला, सरली
तहसील व जिला बाडमेर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर दिनांक 02 मार्च 2022 राजस्व प्रकरण संख्या 24/2022 अनवान गोमाराम पुत्र देवाराम आदि

उपस्थित–
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो.
रेस्पो. संख्या तीन की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 06 अगस्त 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 24/2022 अनवान गोमाराम पुत्र देवाराम आदि में पारित आदेश दिनांक 02 मार्च 2022 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या एक व दो ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के तहत एक आवेदन पत्र आराजी खसरा संख्या 1073/966 रकबा 43 बीघा 01 बिस्वा वाके मौजा लुखों का तला पटवार क्षेत्र सरली की पक्की नेखमबंदी कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट आराजी खसरा संख्या 962 व 963 वाके मौजा लुखों का तला के खातेदार काश्तकार है और उक्त भूमि के चारों तरफ वक्त सेटलमेण्ट से पुरानी झाडियों की बाड बनी हुई है। अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है। रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2022 को प्रकरण संस्थित किया गया और अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने का आदेश देते हुए आगामी तारीख पेशी 02 मार्च 2022 मुकर्रर की गयी और उक्त दिनांक 02 मार्च 2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

को अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति अंकित करते हुए एवं मौके की कोई जांच रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार के तलब किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने 2017(2) आरआरटी 1084 उद्धरित की। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 963 का रास्ता रेस्पो. के खसरा संख्या 1073/966 से हाकर आगे कटाणी रास्ते तक मौके पर चलता है, जिसे बंद करने हेतु रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा इकतरफा अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया गया, जबकि अपीलाण्ट को कटाणी मार्ग से अपने पडौसी की खातेदारी भूमि से होकर आवागमन का कानूनी अधिकार उपलब्ध है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही पारित कर दिया गया, जिससे समुचित समय में अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाधीन आदेश बाबत दिनांक 22 मई 2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक सरली द्वारा अपीलाण्ट के पुत्र को फोन कर दिनांक 25 मई 2022 को मौके पर गोमाराम के खेत की नेखमबंदी के सिलसिले में हाजिर रहने बाबत कहे जाने पर अपीलाण्ट को जानकारी हुई। तब बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी। जो अन्दर मियादशुमार की जाकर स्वीकार की जावे और वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और अपील मियादबाधित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता–रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट के हित कानूनन प्रभावित नहीं होते है। अपीलाधीन आदेश विविधवत अपीलाण्ट्स व अन्य अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पारित किया गया है। तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक भू.अ./2021/6165 दिनांक 29–12–2021 की पालना में मौका फर्द दिनांक 02–01–2022 विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के साथ पेश की गयी, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त मौका फर्द व कराये गये सीमा ज्ञान को अपीलाण्ट द्वारा नहीं माने जाने पर ही विचारण न्यायालय में कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स व अन्य प्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये और सीपीसी के प्रावधानानुसार तामील मानते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियादबाधित व सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय में प्रकरण संस्थित होने के बाद अपीलाण्ट व अन्य अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाये जाने की पोस्टल रसीदात विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। सीपीसी के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट व अन्य अप्रार्थीगण के खिलाफ

जारी नोटिसों की सम्यक व समुचित तामील दिनांक 02 मार्च 2022 की आदेशिका अनुसार मानते हुए कार्यवाही की गयी, जो उचित प्रतीत होती है। अतः अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को विधिवत नोटिस जारी कर समुचित तामील होने के बाद ही पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट के कोई कानूनी अधिकार प्रतिकूलरूपेण प्रभावित होने बाबत अपीलाण्ट की ओर से कोई ठोस तर्क अथवा दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आलौच्य अपील सारवान नहीं पायी जाती है। आलौच्य अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कोई समुचित संतोषप्रद कारण भी अपीलाण्ट द्वारा प्रकट नहीं किया गया है।

इन परिस्थितियों में अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 मार्च 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06 अगस्त 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर